न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम, पटना

सत्र वाद सं0–321(ए)/2016
सी0आई0एस0– 1030321/2016

02.07.2026 प्रस्तुत मामले में एकमात्र अभियुक्त अवधेश जायसवाल अनुपस्थित। यह अभिलेख सत्र वाद संख्या–321/2016 का पृथक वाद है जो इस न्यायालय में विद्वान जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–20, पटना के न्यायालय से 17.12.2025 को प्राप्त हुआ है। अभिलेख के अवलोकन से यह विदित होता है कि इस मामले में पूर्ववर्ती न्यायालय द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध 26.10.2016 को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 384, 387, 306, 149 के अंतर्गत आरोप का गठन किया गया है एवं साक्ष्य के प्रक्रम से अभियुक्त के अनुपस्थित रहने के कारण धारा 82 द0प्र0स0 के अंतर्गत आदेशिक निर्गत किया गया है एवं दिनांक 06.09.2019 को उसका वाद पृथक कर दिया गया है। इस न्यायालय द्वारा भी अभियुक्त के विरूद्ध दिनांक 13.03.2026 को धारा 82, 83 के अंतर्गत आदेशिका जारी किया गया है, परन्तु संबंधित थाना प्रभारी द्वारा अभियुक्त को न तो गिरफ्तार कर प्रस्तुत किया गया है और न ही कोई तामिला प्रतिवेदन समर्पित किया है। उसकी उपस्थिति हेतु सभी प्रक्रियाएं अपनाई जा चुकी है और यह अभिलेख दिनांक 06.09.2019 से अभियुक्त की उपस्थिति हेतु लंबित है और निकट भविष्य में उसके उपस्थित होने की कोई संभावना नहीं पाते हुए ऊपर वर्णित अभियुक्त को फरार घोषित किया जाता है तथा कार्यालय को आदेश दिया जाता है कि उनके विरूद्ध स्थाई अधिपत्र जारी करें। तद्नुसार कार्यालय अभिलेख संचिकास्त करे।

लेखापित एवं संशोधित

(राकेश कुमार–1)
अपर सत्र न्या0–प्रथम

निर्णय/आदेश की तिथि	02.07.2026
निर्णय/आदेश आरक्षित करने की तिथि	–––
अपलोडिंग तिथि	02.07.2026
अपलोड किसके द्वारा किया गया	आशुलिपिक